उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-40/2018/497/92-2-2018-88जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

केरल राज्य में मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल पेरीपल्ली कोल्लम के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के संबंध में केन्द्रीय सर्तकता आयोग, (सी0बी0सी0) की जांच आख्या में अन्य अधिकारियों के साथ श्री पी0आर0 राय, तत्का0 मुख्य अभियंता, ई0एस0आई0पी0, नई दिल्ली (प्रति नियुक्ति पर) वर्तमान में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को धनराशि रू0 16,47,52,780.00 की क्षति के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-35/16/07मु0स0/92-2-16-88जांच/16 दिनांक 26-07-16 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-48/16/1500/92-2-16-88जांच/ 16 दिनांक 26-08-2016 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के स्थान पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-77/16/2073/92-2-16-88जांच/16 दिनांक 14-12-2016 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं नियोजन (ई0एन0सी0,डी0पी0) सिचांई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को, शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-60/2017/705/92-2-17-88जांच/16 दिनांक 09-05-2016 द्वारा प्रमुख अभियंता (नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-97/17/775/92-2-17-88जांच/2016 दिनांक 20-06-2017 द्वारा विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- प्रश्नगत प्रकरण में श्री पी0आर0 राय, तत्का0 अधीक्षण अभियंता (से0नि0) के प्रतयावेदन दिनांक 11-12-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त अपचारी अधिकारी के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-07-2016 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत, निर्माण कार्य से 04 वर्ष के उपरांत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किया जाना औचित्यपूर्ण नही पाये जाने के दृष्टिगत एतदद्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को निरस्त किये जाने का श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-40/2018/497(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्री पी0आर0 राय, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।